LDC | UDC | Steno | Pharmacist

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2013/चैत्र 19, 1935
No. 168] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2013/CHAITRA 19, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 209(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 2003, को जहां तक ये उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी 'घ', फार्मासिस्ट तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय के अन्तर्गत, भारत सरकार मुद्रणालयों एवं शाखाओं में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ होना .— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय तथा शाखाएं, (गैर औद्योगिक समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना .—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन-बैंड तथा ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन-बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता .—कोई व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अवर श्रेणी लिपिक	(465)* (2013) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	**वेतन -बैंड-1** 5200-20,200 रु0+ **ग्रेड वेतन** 1900 रु0	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की जाएगी।) **टिप्पण** :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथानिर्धारित होगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाएगी वहां अन्तिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी न कि जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं)।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	**भर्ती की पद्धति,** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समकक्ष उतीर्ण। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर पर टाइप परीक्षण उतीर्ण करना होगा। (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंज़ी दवाब के औसत से 10,500 कुंजी दवाब प्रति घंटा/ 9000 कुंजी दवाब प्रति घंटा के अनुरुप है।)	जी हां, स्तम्भ 10 में उपदर्शित की गई सीमा तक	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	(i) पचासी प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) कुल रिक्तियों का दस प्रतिशत 1800/- रु0 ग्रेड वेतन में समूह 'ग' के कर्मचारियों (गैर औद्योगिक) में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ऐसे कर्मचारियों में से भरा जाएगा जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता वाले हो तथा जिन्होंने उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए 50 वर्ष) **टिप्पण** : यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अधिक कर्मचारियों पर बाद के वर्षों में रिक्त होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए।

			(iii) 5 प्रतिशत समूह 'ग' कर्मचारियों(गैर औद्योगिक) में से भरा जाएगा जिनकी 1800/- रु0 ग्रेड वेतन में उक्त पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा है ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, इसकी सरंचना क्या है	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जायेगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : 1800/- रु के ग्रेड वेतन वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित समूह 'ग' कर्मचारी।(गैर औद्योगिक) **टिप्पण -1** जहां प्रोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि यदि विहित है सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण -2** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई,से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **विभागीय अर्हक परीक्षा :** 1800/- रु के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' (गैर औद्योगिक) के कर्मचारी जो 12 वीं कक्षा उर्तीण या समकक्ष अर्हता रखते हैं तथा जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति या चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा-प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय **-अध्यक्ष** 2. जेष्ठतम उप-प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय का प्रभारी अधिकारी **-सदस्य** 3. भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय का जेष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) **-सदस्य**	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	(273)* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन -बैंड-। 5200- 20,200 रु0+ **ग्रेड वेतन** 2400 रु0	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसा अवर श्रेणी लिपिक (ग्रेड वेतन 1900 रु0) जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो **टिप्पण -1** जहां प्रोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि यदि उल्लिखित है सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण - 2** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व या उस ता0 से नियमित आधार पर की गई सेवा को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तद्नुरुप ग्रेड-वेतन अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जायेगी जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, या (ii) जिन्होनें अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है या समतुल्य । **टिप्पण -1** प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्य हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व या उस ता0 से नियमित आधार पर की गई सेवा को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड-वेतन अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है सिवाय इसके जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान को एक समान ग्रेड-पे/वेतनमान वाले एक ग्रेड में समाहित किया गया है तथा जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड- वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। **टिप्पण -2** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण -3** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति / चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगेः 1. महा-प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2 ज्येष्ठतम उप-प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या प्रभारी अधिकारी, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -सदस्य 3. भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय के सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. आशुलिपिक ग्रेड 2	21* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	**वेतन -बैंड-1** 5200- 20,200 रु0 + **ग्रेड वेतन** 2400 रु0	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों को आयु में 40 वर्ष तक छूट और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में आयु में पैंतालिस वर्ष की छूट। **टिप्पण** :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञाप्ति की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) दक्षता परीक्षा के मानदंड	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किसी परिस्थिति के अन्तर्गत पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि की छुट्टी के कारण हुई रिक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर सदृश पद धारण

श्रुतलेखः 10 मिनट 80 शब्द प्रति मिनट। प्रतिलेखनः कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी)			कर रहे अधिकारियों जो स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों में से भरी जा सकेंगी ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. भेषजी	12* (2013) * *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	**वेतन -बैंड-।** 5200-20,200 रु0 + **ग्रेड वेतन** 2800 रु0	लागू नहीं होता	18 से 28 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में साधारण सरकारी सेवकों को 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में 45 वर्ष तक की छूट। **टिप्पण** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 तथा साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में 2 वर्ष का डिप्लोमा तथा राज्य/ भारतीय भेषजी परिषद में रजिस्टर्ड (2) अनुभव-किसी सरकारी या अर्धसरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान में संगत क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्तशासी निकायों या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी क (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, या (ii) वेतन -बैंड-। 5200- 20,200 रु0+ ग्रेड वेतन 2400 रु0 में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले पदधारी ख स्तंभ 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों। **टिप्पण** - 1 प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्य हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगेः 1. महा-प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय **-अध्यक्ष** 2 ज्येष्ठतम उप-प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या प्रभारी अधिकारी, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय **-सदस्य** 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) , भारत	(पुष्टि के लिए) आवश्यक नहीं

1442GI/13-2

जनवरी, 2006 से पूर्व या उस ता0 से नियमित आधार पर की गई सेवा को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड-वेतन अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है सिवाय इसके जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान को एक समान ग्रेड- वेतन/वेतनमान वाले एक ग्रेड में समाहित किया गया है तथा जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड-वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। टिप्पण -2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -सदस्य	

[फा.सं. 22/2/2011–प्र.–]
सुरेन्द्र सिंह, उप-निदेशक (प्रशासन

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Directorate of Printing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2013

G.S.R. 209(E).–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate of Printing, Government of India Presses and Branches (Group 'C' and 'D' Industrial Posts) Recruitment Rules, 2003, in so far as they relates to the posts of Upper Division Clerk,, Stenographer Grade 'D', Pharmacists and Lower Division Clerk, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Government of India Presses and Branches under the Directorate of Printing, Ministry of Urban Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Directorate of Printing Government of India Presses and Branches, Non-Industrial Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and the pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification and the pay and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the above said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Lower Division Clerk	465* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted Ministerial	Pay Band -1 ₹ 5200-20200/- plus Grade Pay ₹ 1900/-	Not applicable	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
12th class pass or equivalent	Yes, to the extent indicated in	Two years for direct recruits	(i) Eighty five per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission.